18.03.2026

छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी–मार्च, 2026 सत्र

दैनिक कार्य सूची

गुरूवार, दिनांक 19 मार्च, 2026 (फाल्गुन 28, 1947)

समय 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक –

(i) एफ 7–7/2004/12, दिनांक 12 सितम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 एवं

(ii) एफ 7–19/2015/12, दिनांक 12 सितम्बर, 2025 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास), छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक रूल–801/202/2025–यूएडी, दिनांक 7 नवम्बर, 2025 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ नगरपालिका (व्यापार अनुज्ञापन) नियम, 2025 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास), छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 433 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार–

(i) ईएसटीबी–1/939/2025–यूएडी, दिनांक 10 नवम्बर, 2025 तथा

(ii) एफ 1–7/2014/18, दिनांक 12 दिसम्बर, 2024 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री (नगरीय प्रशासन एवं विकास), छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 356 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक –

(i) ईएसटीबी–103/2/2025–यूएडी–पार्ट–(1), दिनांक 21 जनवरी, 2026 तथा

(ii) एफ 5–5/2024/18, दिनांक 7 अगस्त, 2024 पटल पर रखेंगे।

(5) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2024–2025 के बजट से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य का निष्पादन बजट (परफार्मेन्स बजट) पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(6) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ पेंशन निधि अधिनियम, 2025 (क्रमांक 27 सन् 2025) की धारा 12 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 2774/संसा/ब–4/चार/2026, दिनांक 15 जनवरी, 2026 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ पेंशन निधि नियम, 2026 पटल पर रखेंगे।

(7) श्री ओ. पी. चौधरी, वित्त मंत्री, छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड अधिनियम, 2025 (क्रमांक 26 सन् 2025) की धारा 12 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक 2776/संसा/ब–4/चार/2026, दिनांक 15 जनवरी, 2026 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड नियम, 2026 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री ओंकार साहू, सदस्य, सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं पोषण योजनाओं में वितरित किये जा रहे फोर्टिफाइड चावल में अनियमितता के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, भारत सरकार की ओर से विशेष सहायता योजना (SASCI) द्वारा प्राप्त राशि के व्यय की अनियमितता के संबंध में वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) डॉ. चरणदास महंत, सभापति, लोक लेखा समिति का इकसठ से छियानबे तक 36 प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) श्री विक्रम उसेण्डी, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य, जिला महासमुंद अंतर्गत–

(i) ग्राम पझरापाली में हाई स्कूल भवन निर्माण करने,

(ii) ग्राम सेमलिया में उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निर्माण करने,

(iii) ग्राम छुईपाली में जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने,

(2) श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य, डौण्डीलोहारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम सिंधोला में तांदुला नदी पर स्टापडेम निर्माण करने,

(ii) ग्राम कोटागांव में प्राथमिक शाला भवन निर्माण करने,

(3) श्रीमती रायमुनी भगत, सदस्य, जिला जशपुर अंतर्गत ग्राम बछरांव से गायलुंगा मार्ग में डेंगुरजोर नाले पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

क्रमशः 3

(4) श्री ईश्वर साहू, सदस्य, साजा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत–

(i) ग्राम गोपालपुर में हाई स्कूल भवन निर्माण करने तथा

(ii) ग्राम डंगनिया के प्राथमिक शाला का माध्यमिक शाला में उन्नयन करने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह), छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) के पुरःस्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

निर्धारित समय

30 मिनट (2) श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 3 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (3) श्री ओ.पी. चौधरी, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (संशोधन) विधेयक, 2026 (क्रमांक 4 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

1 घंटा 30 मिनट (4) श्री विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री (गृह), प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2026 (क्रमांक 7 सन् 2026) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

7. नियम 52 के अधीन आधे घंटे की चर्चा

दिनांक 16 दिसम्बर,2025 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या–03 (क्रमांक–239) के उत्तर से उद्भूत विषय पर श्री सुशांत शुक्ला, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर,
दिनांक 18 मार्च, 2026